



संदर्भ सं. राबै/ Ref. No. NB.Goa.FSDD. 1095.B.FSDD.2019-20

दिनांक/ Date: 10 December 2019

The Director

ICAR-Central Coastal Agriculture Research Institute

Ela, Old Goa

Goa – 403 402

महोदय/ Dear Sir

कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत अनुदान- आयसीआरआय -सेंट्रल कोस्टल एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को 'गोवा की प्रमुख सब्जी फसलों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन के लिए किसानों की क्षमता निर्माण' आयोजन के लिए मंजूरी

Grant under Farm Sector Promotion Fund - Sanction to ICAR-Central Coastal Research Institute for Capacity Building of farmers for Integrated Pest and Disease Management in major vegetable crops of Goa.

कृपया दिनांक 10 जुलै 2019 का अपना आवेदन पत्र देखें जिसके साथ आपने गोवा की प्रमुख सब्जी फसलों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन के लिए किसानों की क्षमता निर्माण परियोजना प्रस्ताव के लिए फार्म सैक्टर प्रमोशन निधि से अनुदान सहायता की मंजूरी के लिए शीर्षोक्त परियोजना/ कार्यक्रम के विवरण भेजे हैं. हम आपको सहर्ष सूचित करते हैं कि नाबार्ड ने उक्त परियोजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुदान सहायता मंजूर की है.

Please refer to your application dated 10 July 2019 forwarding therewith the details of the captioned project/Programme for sanction of Grant assistance from NABARD, out of Farm Sector Promotion Fund for the project entitled 'Empowerment of farmers through adoption of sustainable and Eco-friendly Integrated Pest and Disease Management Technologies in major vegetable crops in Goa'. We are pleased to inform you that NABARD has sanctioned Grant assistance for implementing the above project/programme as indicated hereunder.

क्र. सं. S. No.	मद/ Particulars	विवरण/ Details
i	परियोजना/ कार्यक्रम Project /Programme	Empowerment of farmers through adoption of sustainable and Eco-friendly Integrated Pest and Disease Management Technologies in major vegetable crops in Goa.
ii	भौगोलिक अवस्थिति/ विस्तार परियोजना/ कार्यक्रम का स्थान Geographical location/spread Location of Project/Programme	Following blocks will be covered under the project 1. North Goa District: Tiswadi, Bardez, Bicholim 2. South Goa District: Ponda, Salcete, Sangeum, Canacona



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

गोवा क्षेत्रीय कार्यालय

तीसरी मंजिल, निझरी भवन, मनेजेस ब्रगान्जा मार्ग, पणजी, गोवा - 403 001 टेली: 0832 2220490, 2420504 फैक्स: 0832 2223429 ई मेल: panaji@nabard.org

Goa Regional Office

3rd Floor, Nizari Bhawan, Menezes Braganza Road, Panaji, Goa – 403 001 Tel.: 0832 2220490, 2420504 Fax: 0832 2223429 E-mail: panaji@nabard.org

iii	कुल वित्तीय परिव्यय (टीएफओ) Total Financial Outlay (TFO)	₹9.70 lakh (Rupees Nine Lakh Seventy Thousand Only)
iv	नाबार्ड से अनुदान Grant from NABARD	₹8.70 lakh (Rupees Eight Lakh Seventy Thousand only)
v	एजेंसी का अंशदान Agency's contribution	₹ 1.00 lakh (Rupees One Lakh only)
vi	अनुदान का संवितरण Disbursement of Grant	The Grant amount will be disbursed in suitable installments as may be decided by NABARD, depending on the physical and financial progress in project implementation, subject to the PIA complying with the requirements stipulated by NABARD and those mentioned in the Agreement(s).

2. मंजूरी निम्नलिखित को स्वीकार किए जाने के अधीन है:

The sanction is subject to the acceptance of :-

(क) इस पत्र के अनुबंध I में यथा-निर्धारित कार्यक्रम/ परियोजना प्रदेय;

(a) the Programme/ project deliverables as set out in Annexure I to this letter;

(ख) इस पत्र के अनुबंध II में यथा-निर्धारित फार्म सैक्टर प्रमोशन फंड से अनुदान के मामले में सामान्य निबंधन और शर्तें (जीटीसी);

(b) General Terms and Conditions (GTC) applicable to grants out of **Farm Sector Promotion Fund** as set out in Annexure II to this letter;

(ग) अनुदान करार (रौ) और अन्य दस्तावेजों में निहित सभी प्रसंविदाएं; और

(c) all the covenants as contained in Grant Agreement(s) and other documents; and

(घ) नाबार्ड द्वारा समय-समय पर फार्म सैक्टर प्रमोशन फंड से संबन्धित दिशानिर्देश अंतर्गत निर्धारित अन्य निबंधन और शर्तें.

(d) such other terms and conditions as may be stipulated by NABARD under Farm Section Promotion Fund from time to time.

3. एजेंसी उपर्युक्त निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में अनुबंध I, II को इस मंजूरी पत्र की दूसरी प्रति के साथ संलग्न कर पीआईए के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और पीआईए के महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दूसरी प्रति नाबार्ड को वापस करें.

As a token of acceptance of the above Terms and Conditions, the Agency shall return to NABARD duplicate copy of this Sanction Letter along with **Annexures I, II** enclosed thereto, signed by the authorized signatory of the PIA and countersigned by the Key person of the PIA.

4. एजेंसी नाबार्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अनुदान करार और महत्वपूर्ण व्यक्ति वचनपत्र सह क्षतिपूर्ति तथा अन्य दस्तावेज निष्पादित करेगी. The Agency shall also execute Grant Agreement and Key Person undertaking cum Indemnity¹ and other documents in the formats prescribed by NABARD.



5. एजेंसी द्वारा अनुदान सहायता के लिए मंजूर परियोजना/ कार्यक्रम के संबंध में सभी बैंकिंग लेनदेन, अदा किए जाने वाले और प्राप्त किए जाने वाले सभी भुगतान, नाबार्ड द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदान सहित, नाबार्ड द्वारा स्वीकार्य बैंक में खोले गए बचत/ बैंक/ चालू खाते/ न्यास और प्रतिधारिता खाते में किए जाएंगे।

All the Banking transactions, payments made and received in respect of Project/Programme sanctioned for Grant Assistance, including grants released by NABARD, shall be carried out by the Agency in the Savings/ Bank/ Current account / Trust and Retention account opened in a bank as acceptable to NABARD.

6. जब तक एजेंसी इस अनुदान की मंजूरी के निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करने की लिखित सूचना इस मंजूरी पत्र के खंड (2) और (3) में यथा-उल्लिखित तरीके से इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या नाबार्ड के परम विवेकाधिकार से नाबार्ड द्वारा अनुमत आगे की समय सीमा के भीतर नहीं देती तब तक इस पत्र का यह आशय नहीं लगाया जाएगा कि इससे नाबार्ड पर कोई बाध्यकारी देयता उत्पन्न होती है।

This communication shall not be construed as giving rise to any binding obligation on the part of NABARD unless the Agency communicates in writing its acceptance of terms and conditions of sanction of this Grant to NABARD in the manner stated in the clauses (2) and (3) of this Sanction Letter, within 15 days from the date of receipt of this letter or such further time as may be allowed by NABARD in its absolute discretion.

7. यदि इस पत्र की तारीख से 90 दिनों के भीतर अनुदान की पहली किस्त को प्राप्त नहीं किया जाता तो यह मंजूरी स्वतः समाप्त हो जाएगी।
In case the first installment of Grant is not availed within 90 days from the date of this letter, the sanction shall automatically lapse.

कृपया इस पत्र की पावती दें/ Please acknowledge receipt of this letter.

भवदीय/ Yours faithfully

(वसंत सावंतकर)

उप महाप्रबंधक/ Deputy General Manager

अनुलग्नकों की सूची/ ENCLOSURES LIST

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | अनुबंध/
Annexure I | परियोजना/ कार्यक्रम प्रदेय
Project /Programme deliverables |
| 2. | अनुबंध
Annexure II | जिस निधि से परियोजना/ कार्यक्रम के लिए अनुदान मंजूर किया गया है, उसके सामान्य निबंधन और शर्तें
General Terms and Conditions (GTC) for the Fund from which the Grant assistance has been sanctioned to the Project/Programme.
मासिक प्रगति रिपोर्ट |

